रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052021-227013
CG-DL-E-17052021-227013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2021/वैशाख 27, 1943
No. 264] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2021/VAISAKHA 27, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17, मई 2021

सा.का.नि. 330 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह "क" पद हिन्दी शाखा) भर्ती नियम, 2013 को, जहाँ तक उनका संबंध अपर विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा), उप विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) और अधीक्षक अनुवाद (हिन्दी शाखा) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिसे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड में समूह "क" पदों (हिन्दी शाखा) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह "क" पद हिन्दी शाखा) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)	04 *(2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 13 (1,23,100-2,15,900 रु.)	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 12 (78,800 – 2,09,200 रु.) में राजभाषा खंड के ऐसे उप विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 – (78,800 – 2,09,200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास शैक्षिक अर्हताएं	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग,विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य	प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

और अनुभव हो ; **आवश्यक :** क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री ; और (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी, जो विधि कार्य में दस वर्ष अनुभव रखता हो । III. ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव हो ; या VI. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव रहा हो ; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक के विषय के रूप में रहा हो । या		

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में स्नातक डिग्री ; और (ii) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का बारह वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में बारह वर्ष अनुभव रखता हो ; या III. कोई ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी हो जो बारह वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में बारह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का बारह वर्ष का अनुभव रहा हो ; या VI. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों के प्रारूपण का बारह वर्ष का अनुभव रहा हो ; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो । **टिप्पण 1.** आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त “अर्हित विधि व्यवसायी” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो		

अधिवक्ता या प्लीडर है और विधि में मास्टर डिग्री की दशा में दस वर्ष या विधि में स्नातक डिग्री की दशा में बारह वर्ष तक विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर चुका हो । **टिप्पण 2.** "विधि कार्य में अनुभव" पद से, सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय के अधीन ऐसा मूल विधिक पद, जिसके लिए विधि में स्नातक डिग्री पूर्वापेक्षित है या भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता है, धारण करना अभिप्रेत है । **वांछनीय :** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में हिन्दी में विधायी प्रारूपण करने का पांच वर्ष का अनुभव रहा हो । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय या माध्यम रहा हो । **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा)	06 * (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1.** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता : **आवश्यक :** क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री ; और (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का आठ वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रखता हो। III. कोई ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी हो जो आठ वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में आठ वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का आठ वर्ष का अनुभव हो ; या VI. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का आठ वर्ष का अनुभव हो ; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक के विषय के रूप में रहा हो । या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में स्नातक डिग्री ; और (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में दस वर्ष अनुभव हो ; या III. कोई ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी हो जो दस वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो; या IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव हो ; या (VI) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव हो ; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या			

विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो । **टिप्पण** 1.आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त "अर्हित विधि व्यवसायी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या प्लीडर है और विधि में मास्टर डिग्री की दशा में आठ वर्ष या विधि में स्नातक डिग्री की दशा में दस वर्ष तक विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर चुका हो । **टिप्पण** 2. "विधि कार्य में अनुभव" पद से, सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय के अधीन ऐसा मूल विधिक पद, जिसके लिए विधि में स्नातक डिग्री पूर्वापेक्षित है या भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता है, धारण करना अभिप्रेत है । **टिप्पण** 3. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** 4. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय :** **अर्हता :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय या माध्यम रहा			

हो। **अनुभव :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में हिन्दी में विधायी प्रारूपण करने का पांच वर्ष का अनुभव हो।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 11 के ऐसे सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधायी विभाग द्वारा यथा विनिश्चित फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरा कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 – (67,700 – 2,08,700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव,विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो । **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा)	09 *(2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण** 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए । **टिप्पण** 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता – आवश्यक – क. (i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और अधीक्षक (तकनीकी) की श्रेणी से प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए एक वर्ष	40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर की डिग्री ; (ii) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो; या II. किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में पांच वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ; या III. केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का पांच वर्ष का अनुभव हो ; या IV. पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में पांच वर्ष अनुभव रखता हो ; या V. ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो पांच वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या VI. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पांच वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या VII. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का पांच वर्ष का अनुभव हो ; या VIII. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों के प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या			

विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो ; या ख. (i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री ; (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का सात वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो ; या II. किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में सात वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ; या III. केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का सात वर्ष का अनुभव हो ; IV. पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में पांच वर्ष अनुभव रखता हो ; या V. ऐसी अर्हित विधि व्यवसायी जो सात वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; VI. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सात वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या VII. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का सात वर्ष का अनुभव हो ; या VIII. केन्द्रीय सरकार या राज्य			

सरकार में कानूनों के प्रारूपण का सात वर्ष का अनुभव हो ; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो ; या **टिप्पण** 1. आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त "अर्हित विधि व्यवसायी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या प्लीडर है और विधि में मास्टर डिग्री की दशा में पांच वर्ष या विधि में स्नातक डिग्री की दशा में सात वर्ष तक विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर चुका हो । **टिप्पण 2.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 3.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय :** **अर्हता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय या माध्यम रहा हो । **अनुभव** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में हिन्दी में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रू.) में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा अधीक्षक अनुवाद (हिन्दी शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपए) में राजभाषा खंड विधायी विभाग का ऐसा अधीक्षक (तकनीकी) (हिन्दी शाखा) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखता हो और विधायी विभाग द्वारा यथा विनिश्चित फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण 1.** प्राप्नति के लिए पात्रता सूची संबंधी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के अधिकारी द्वारा पूरा करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2.** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति :-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.) के समतुल्य नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो ; और (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य	समूह "ख" से समुह "क" पदों पर प्रोन्नति के लिए और सीधी भर्ती द्वारा और प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

अर्हताएं और अनुभव रखता हों । **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हे, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सारधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अधीक्षक अनुवाद (हिन्दी शाखा)	05 *(2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समुह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु.)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1.** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए । **टिप्पण 2.** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता : **आवश्यक :** क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में मास्टर डिग्री और (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का दो वर्ष की अवधि	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।	40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्त द्वारा ।

तक सदस्य रहा हो ; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखता हो ; या III. ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी हो जो दो वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दो वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो ; VI. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों के प्रारूपण का दो वर्ष का अनुभव हो ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो ; या **ख.** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में स्नातक डिग्री और (ii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- I. राज्य न्यायिक सेवा का चार वर्ष की अवधि तक सदस्य रहा हो ; या II. केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा सरकारी सेवक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय में कार्यकारी या अधिकारी जो विधि कार्य में चार वर्ष का अनुभव रखता हो ; या III. ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी हो जो चार वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; IV. किसी मान्यताप्राप्त संस्था में चार वर्ष तक			

विधि का अध्यापक रहा हो ; या V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का चार वर्ष का अनुभव हो ; VI. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों के प्रारूपण का चार वर्ष का अनुभव हो ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो ; या **टिप्पण** 1.आवश्यक अर्हताओं में प्रयुक्त "अर्हित विधि व्यवसायी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता या प्लीडर है और विधि में मास्टर डिग्री की दशा में दो वर्ष या विधि में स्नातक डिग्री की दशा में चार वर्ष तक विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर चुका हो । **टिप्पण** 2. "विधि कार्य में अनुभव" पद से, सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय के अधीन ऐसा मूल विधिक पद, जिसके लिए विधि में स्नातक डिग्री पूर्वापेक्षित है या भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता है, धारण करना अभिप्रेत है । **टिप्पण 3.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 4.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

वांछनीय : **अनुभव:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों के हिन्दी में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400 /- रु.) में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी शाखा) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण 1.** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47,600-1,51,100 रु.) या स्तर – 9 (53,100-1,67,800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अर्हताएं और अनुभव रखता हों । **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हे, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सारधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं. ए-12018/2/2010-प्रशा.I(विधायी विभाग)]

अनूप कुमार वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2021

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' Posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the post of Additional Legislative Counsel (Hindi Branch), Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch), Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) and Superintendent Translation (Hindi Branch) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Additional Legislative Counsel (Hindi Branch).	04 *(2021) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field or area. **Note**:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while filling up the post by deputation.

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central or State Government or Union territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; and **Essential:** (A)(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) Possessing the following educational qualifications and experience, namely.- I. a member of State Judicial Service for a period of ten years; or II. a Central or State or Union territory Government servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has experience in legal affairs for ten years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years; or IV. a teacher of law for ten years in a recognised institution; or V. ten years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government or Union territory administration; or VI. ten years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union territory administration; and		

(iii) passed Secondary School examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government. Or (B) (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following educational qualifications and experience, namely.- I. a member of State Judicial Service for a period of twelve years; or II. a Central or State or Union territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has experience in Legal Affairs for twelve years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for twelve years; or IV. a teacher of law for twelve years in a recognised institution; or V. twelve years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union territory administration; or VI. twelve years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union territory administration; and (iii) passed Secondary School examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government.		

Note 1: The expression "qualified legal practitioner" used in the essential qualifications means a person, who is an advocate or a pleader and has practised as such for ten years in case of Masters Degree in Law or twelve years in case of Bachelors Degree in Law. **Note 2**: The term "experience in legal affairs" means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law is a prerequisite or essential qualification for recruitment. Desirable: (i) Five years experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government or Union territory administration. (ii) Bachelors degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch).	06 *(2021) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection post.	Not exceeding 50 years **Note1:** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

					Note2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: **Essential :** A.(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following educational qualifications and experience, namely;- I. a member of State Judicial Service for a period of eight years; or II. a Central or State or Union territory Government servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body, who has experience in legal affairs for eight years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for eight years; or IV. a teacher of law for eight years in a recognised institution; or V. eight years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union territory administration; or VI. eight years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. Or B. (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) possessing the following educational qualifications and experience, namely;- I. a member of State Judicial Service for a period of ten years; or II. a Central or State or Union territory Government servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body, who has experience in legal affairs for ten years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years; or IV. a teacher of law for ten years in a recognised institution; or V. ten years experience of translation into Hindi of	Not applicable	One year for direct recruits.	50% by promotion failing which by deputation; 50% by direct recruitment.

statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union territory administration; or VI. ten years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union territory; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government. **Note 1**: The expression qualified legal practitioner used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for eight years in case of Masters Degree in Law or ten years in case of Bachelors Degree in Law. **Note 2**: The term experience in Legal Affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law degree is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 4**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable**: **Qualification**: Bachelors degree from a recognised University or Institution with Hindi as a subject or medium at degree level. **Experience**: Five years experience of legislative drafting in Hindi in Central or State Government or Union territory administration.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in level-11 in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks duration in the field or area as decided by the Legislative Department.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and filling up the post by deputation.

Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administartion: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1:-** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice -Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice -Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice -Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch)	09 *(2021) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection post.	Not exceeding 40 years. **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. **Note2**: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: **Essential** : A. (i) Masters Degree in Law from a University established or incorporated by or under Central Act or Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and (ii) possessing the following qualifications and experience, namely:- I. Should have been a member of State Judicial Service for a period of five years; or II. Should have held a post in the Legal Department of a State Government for five years; or III. Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for five years; or IV. Should have been an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body, who has had experience in Legal Affairs for five years; or V. Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for five years; or VI. Should have been a teacher of law for five years in a recognised institution; or VII. Should have five years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government; or VIII. Should have five years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government; (iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or university or any institution or foreign university approved by the Central Government. Or B. (i) Bachelors Degree in Law from a University established or incorporated by or under a Central Act or a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign	Not applicable.	One year for direct recruits and officers promoted from the grade of Superintendent (Technical).	40% by promotion failing which by deputation; 60% by direct recruitment.

University approved by the Central Government; and (ii) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- I. should have been a member of State Judicial Service for a period of seven years; or II. should have held a post in the legal Department of a State Government for seven years; or III. should have been a Central Government servant who has experience in Legal Affairs for seven years; or IV. should have been an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body, who has experience in Legal Affairs for seven years; or V. should have been a qualified legal practitioner, who has practised as such for seven years; or VI. should have been a teacher of law for seven years in a recognised institution; or VII. Should have seven years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government; or VIII. Should have seven years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government. and (iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or university or any institution or foreign university approved by the Central Government. **Note 1:** The expression "Qualified Legal Practitioner" means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for five years in case of Masters Degree in Law or seven years in case of Bachelors Degree in Law. **Note 2**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of			

selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** **Qualification:** Bachelors degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level. **Experience:** Five years experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Superintendent Translation (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and Superintendent (Technical) (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade, and possessing a degree in Law from a recognised University and have successfully completed training of two weeks duration in the field or area as decided by the Legislative Department. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the Officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officers of the Central or State Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the level-10 (Rs.56100-177500) in the pay	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member; 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official LanguagesWing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman; 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice -Member; 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing,Legislative Department, Ministry of Law and Justice — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion from Group 'B' to Group 'A' posts and for filling up the posts by direct recruitment and deputation basis.

matrix of equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Superintendent Translation (Hindi Branch).	05 *(2021) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection post.	Not exceeding 35 years. **Note1:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. **Note2**: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: **Essential**: (A)(i) Masters Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) Possessing the following educational qualifications and experience, namely;- I. a Member of State Judicial Service for a period of two years; or II. a Central or State or Union territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body, who has experience in Legal Affairs for two years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for two years; or IV. a teacher of law for two years in a recognised institution; or V. two years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and	Not applicable.	One year for direct recruits and promotees.	40% by promotion failing which by deputation; 40% by direct recruitment; 20% by deputation.

orders in Central Government or State Government or Union territory administration; or VI. two years experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government or Union territory administration; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government; or (B) (i) Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) Possessing the following educational qualifications and experience, namely: I. a Member of State Judicial Service for a period of four years; or II. a Central or State or Union Territory Government Servant or an executive or officer in a Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body who has had experience in Legal Affairs for four years; or III. a qualified legal practitioner who has practised as such for four years; or IV. a teacher of law for four years in a recognised institution; or V. four years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union territory; or VI. four years experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government or Union territory administration; and (iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government. **Note 1**: The expression qualified legal practitioner used in the essential qualifications means a person who is an advocate or a pleader and has practised as such for two years in case of Masters Degree in Law or four years in case of Bachelors Degree in Law.. **Note 2**: The term experience in Legal			

Affairs means holding of a substantive legal post under the Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or Autonomous Body for which Bachelors Degree in Law is a prerequisite or essential qualification for recruitment. **Note 3**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** **Experience**: Three years experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government or Union territory administration.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Translator (Hindi Branch) of Official Languages Wing, Legislative Department in level - 7 in the pay matrix Rs.44900-142400/- with three years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field or area. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice –Member; 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman; 2.Additional Secretary,Legislative Department, Ministry of Law an Justice - Member; 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing,Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) or level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/2/2010-Admn.I(LD)]

ANUP KUMAR VARSHNEY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.17 21:42:06 +05'30'